E-mail:- hegpgckhr@ mp.gov.in
Phone No.:- +91-7282-241562
Fax No.:- +91-7282-2419 63

कार्यालय, प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर (अग्रणी)महाविद्यालय,खरगोन (म.प्र.)

क्रमांक/ 1382 छात्रवृत्ति/2020 दिनांक 13/07/2020

प्रति,

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास विभाग,
खरगोन (म.प्र.)

विषय :– सत्र् 2019–20 में नियमित रुप से अध्ययनरत् अनुसूचित जनजाति नवीन छात्र/छात्राओं के आवास सहायता योजना की स्वीकृति।

उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भानुसार लेख है कि, सत्र् 2019–20 में नियमित रुप से अध्ययनरत् अनुसूचित जनजाति नवीन 05 छात्र–छात्राओं की आवास सहायता योजना की स्वीकृति आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्नः– स्वीकृति आदेश क्रमांक/अ.आ./आ.जा.का./पी.एम.एस./136622 खरगोन दिनांक 10.07.2020।

16/7/20

डॉ. आर.एस. देवड़ा
प्राचार्य
शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरगोन
खरगोन
07282-241562

Govt P G College Khargone District :KHARGONE Local Body: Nagar Palika, KHARGONE

Locked

Category: ST

[Fresh Cases]

Sanction Order : 136622 For Academic Year : 2019-20

अनुसूचित जाति/ जनजाति के आवास सहायता स्वीकृति आदेश

KHARGONE, दिनांक :-10/07/2020

क/अ.ज./आ.जा.का./पी.एम.एस./136622

:- आवास सहायता के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (Awas Sahayata Sanction Order)

आवास सहायता नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों/जानकारी के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र/छात्राओं को आवास सहायता स्वीकृत की जा है| बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान,कार्यालय सहायक आयुक्त/जिला संयोजक द्वारा कोषालय के माध्यम से छात्रा/छात्राओं के खातों में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा |

शैक्षणिक सत्र : 2019-20 शिक्षण संस्था : Govt P G College Khargone

वर्ग : ST स्वीकृति प्रकार : Fresh Cases

कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 5 कुल राशि (रुपयें में) : 75000

प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय में नियमित उपस्थिति एवं किराये के आवास में रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है| यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा विध्यार्थी से आवास सहायता की वसूली की जावेगी |
2. विध्यार्थी द्वारा अपलोड किये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है |
3. किसी भी वियार्थी छात्र/छात्राओं को दोहरी आवास सहायता का भुगतान नहीं किया जा रहा हैं|
4. किसी भी गैर- स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है |
5. विध्यार्थी के मूल निवास तथा किराये के निवास की जानकारी का परिक्षण कर लिया गया हैं | ऐसे किन्ही भी छात्रा/छात्राओं को आवास सहायता नहीं दी जा रही है जिनके मूल निवास तथा अध्यनरत संस्था एक ही स्थानीय निकाय एवं मूल निवास तथा किराये से निवासरत मकान एक ही निकाय में है |
6. शासकीय छात्रावास में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही हैं|

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची ।

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला:-KHARGONE

प्राचार्य
शा.स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
खरगोन
07282-241562

This Sanction is generated by Scholarship Portal. Printed on -Date-11/07/2020

प्र.क्रमांक/आ.जा.का./पी.एम.एस/**136622** /

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार ग्वालियर, मध्यप्रदेश
2. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल, म.प्र.
3. कलेक्टर जिला :-KHARGONE
4. जिला कोषालय अधिकारी जिला : KHARGONE, मध्यप्रदेश
5. जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण, जिला :- KHARGONE
6. संबंधित प्राचार्य, Govt P G College Khargone District: KHARGONE

हस्ताक्षरित एवं पदमुद्रा

प्राचार्य
शा.स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
खरगोन

स्वीकृतकर्ता अधिकारी, KHARGONE

07282-241562

ONE Local Body Nagar Palika KHARGONE

कार्यालय,प्राचार्य,शासकीय स्नातकोत्तर(अग्रणी)महाविद्यालय खरगोन(म.प्र.)

क्रमांकः/1400/छात्रवृत्ति/20 खरगोन दिनांक 13/7/2020

प्रति,

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास विभाग,
खरगोन (म.प्र.)

विषयः– सत्र 2019–20 में नियमित रूप से अध्ययनरत् ***अनुसूचित जनजाति नवीन*** छात्र–छात्राओं के **आवास सहायता योजना** की स्वीकृति ।

उपरोक्त विषय में लेख हैं कि, सत्र 2019–20 में नियमित रूप से अध्ययनरत् ***अनुसूचित जनजाति नवीन 02*** छात्र/छात्राओं की आवास सहायता योजना की स्वीकृति आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्नः– स्वीकृति आदेश क्रमांक/अ.ज./आ.जा.का./पी.एम.एस./134256 खरगोन दिनांक 22.04.2020

15/7/20 OIC

डॉ.आर.एस. देवड़ा
प्राचार्य
शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरगोन
खरगोन
07282-241562

Govt P G College Khargone District :KHARGONE Local Body: Nagar Palika, KHARGONE

Locked

Category: ST

Sanction Order : 134256 For Academic Year : 2019-20

[Fresh Cases]

अनुसूचित जाति/ जनजाति के आवास सहायता स्वीकृति आदेश

क्रमांक/अ.ज./आ.जा.का./पी.एम.एस./134256

KHARGONE, दिनांक :-22/04/2020

विषय :- आवास सहायता के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (Awas Sahayata Sanction Order)

आवास सहायता नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों/जानकारी के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र/छात्राओं को आवास सहायता स्वीकृत की जा रही है| बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान,कार्यालय सहायक आयुक्त/जिला संयोजक द्वारा कोषालय के माध्यम से छात्रा/छात्राओं के खातों में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा ।

शैक्षणिक सत्र	: 2019-20	शिक्षण संस्था	:	Govt P G College Khargone
वर्ग	: ST	स्वीकृति प्रकार	:	Fresh Cases
कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या	: 2	कुल राशि (रुपयें में)	:	30000

प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय में नियमित उपस्थिति एवं किराये के आवास में रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है| यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा विध्यार्थी से आवास सहायता की वसूली की जावेगी ।
2. विध्यार्थी द्वारा अपलोड किये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है ।
3. किसी भी विद्यार्थी छात्र/छात्राओं को दोहरी आवास सहायता का भुगतान नहीं किया जा रहा है|
4. किसी भी गैर- स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है ।
5. विध्यार्थी के मूल निवास तथा किराये के निवास की जानकारी का परिक्षण कर लिया गया हैं । ऐसे किन्ही भी छात्रा/छात्राओं को आवास सहायता नहीं दी जा रही है जिनके मूल निवास तथा अध्यनरत संस्था एक ही स्थानीय निकाय एवं मूल निवास तथा किराये से निवासरत मकान एक ही निकाय में है ।
6. शासकीय छात्रावास में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही हैं|

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची ।

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला KHARGONE

प्राचार्य

खरगोन

07282-241562

This Sanction is generated by Scholarship Portal. Printed on -Date-23/05/2020

NIC

प्र.क्रमांक/आ.जा.का./पी.एम.एस/**134256** /

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार ग्वालियर, मध्यप्रदेश
2. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल, म.प्र.
3. कलेक्टर जिला :-KHARGONE
4. जिला कोषालय अधिकारी जिला : KHARGONE, मध्यप्रदेश
5. जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण, जिला :- KHARGONE
6. संबंधित प्राचार्य, Govt P G College Khargone District: KHARGONE

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
प्राचार्य
स्वीकृतकर्ता अधिकारी जिला KHARGONE
शा.स्नातकोत्तर महाविद्यालय
खरगोन
07282-241562

KHARGONE Local Body: Nagar Palika, KHARGONE

कार्यालय,प्राचार्य,शासकीय स्नातकोत्तर(अग्रणी)महाविद्यालय खरगोन(म.प्र.)

क्रमांकः/ 1398 /छात्रवृत्ति/20 खरगोन दिनांक 13/7/2020

प्रति,

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास विभाग,
खरगोन (म.प्र.)

विषयः- सत्र 2019–20 में नियमित रूप से अध्ययनरत् *अनुसूचित जनजाति नवीन* छात्र–छात्राओं के आवास **सहायता योजना** की स्वीकृति ।

उपरोक्त विषय में लेख हैं कि, सत्र् 2019–20 में नियमित रूप से अध्ययनरत् *अनुसूचित जनजाति नवीन* 05 छात्र/छात्राओं की आवास सहायता योजना की स्वीकृति आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्नः- स्वीकृति आदेश क्रमांक/अ.ज./आ.जा.का./पी.एम.एस./134461 खरगोन दिनांक 01.05.2020

16/7/20

6/C

डॉ.आर.एस. देवड़ा
प्राचार्य
शा.स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
शास. स्नात. महाविद्यालय खरगोन
07282-241562

स्नातकोत्तर(अग्रणी)महाविद्यालय खरगोन
प्राप्त दिनांक 13/7/2020

Govt P G College Khargone District :KHARGONE Local Body: Nagar Palika, KHARGONE

Locked

Category: ST

[Fresh Cases]

Sanction Order : 134461 For Academic Year : 2019-20

अनुसूचित जाति/ जनजाति के आवास सहायता स्वीकृति आदेश

KHARGONE, दिनांक :-01/05/2020

क/अ.ज./आ.जा.का./पी.एम.एस./134461

य :- आवास सहायता के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (Awas Sahayata Sanction Order)

आवास सहायता नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों/जानकारी के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र/छात्राओं को आवास सहायता स्वीकृत की जा है| बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान,कार्यालय सहायक आयुक्त/जिला संयोजक द्वारा कोषालय के माध्यम से छात्र/छात्राओं के खातों में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा |

शैक्षणिक सत्र : 2019-20 शिक्षण संस्था : Govt P G College Khargone

वर्ग : ST स्वीकृति प्रकार : Fresh Cases

कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 5 कुल राशि (रुपये में) : 75000

प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय में नियमित उपस्थिति एवं किराये के आवास में रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है| यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा विध्यार्थी से आवास सहायता की वसूली की जावेगी |
2. विध्यार्थी द्वारा अपलोड किये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है |
3. किसी भी विद्यार्थी छात्र/छात्राओं को दोहरी आवास सहायता का भुगतान नहीं किया जा रहा हैं|
4. किसी भी गैर- स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है |
5. विध्यार्थी के मूल निवास तथा किराये के निवास की जानकारी का परिक्षण कर लिया गया हैं | ऐसे किन्ही भी छात्रा/छात्राओं को आवास सहायता नहीं दी जा रही है जिनके मूल निवास तथा अध्यनरत संस्था एक ही स्थानीय निकाय एवं मूल निवास तथा किराये से निवासरत मकान एक ही निकाय में है |
6. शासकीय छात्रावास में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही हैं|

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची ।

प्राचार्य एवं पदमुद्रा
स्नातकोत्तर महाविद्यालय
खरगोन
07282-241562

Page 1/3

प्र.क्रमांक/आ.जा.का./पी.एम.एस/**134461** /

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार ग्वालियर, मध्यप्रदेश
2. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल, म.प्र.
3. कलेक्टर जिला :-KHARGONE
4. जिला कोषालय अधिकारी जिला : KHARGONE, मध्यप्रदेश
5. जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण, जिला :- KHARGONE
6. संबंधित प्राचार्य, Govt P G College Khargone District: KHARGONE

प्राचार्य एवं पदमुद्रा
स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला:-KHARGONE

शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
खरगोन
07282-241562

This Sanction is generated by Scholarship Portal. Printed on -Date-22/05/2020

E-mail:- hegpgckhr@ mp.gov.in
Phone No.:- +91-7282-241562
Fax No.:- +91-7282-2419 63

कार्यालय, प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर (अग्रणी)महाविद्यालय,खरगोन (म.प्र.)

क्रमांक/1396/ छात्रवृत्ति/2020 दिनांक 13/07/2020

प्रति,

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास विभाग,
खरगोन (म.प्र.)

विषय :- सत्र 2019–20 में नियमित रुप से अध्ययनरत् अनुसूचित जनजाति नवीन छात्र/छात्राओं के आवास सहायता योजना की स्वीकृति।

उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भानुसार लेख है कि, सत्र 2019–20 में नियमित रुप से अध्ययनरत् अनुसूचित जनजाति नवीन 152 छात्र–छात्राओं की आवास सहायता योजना की स्वीकृति आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्न :- स्वीकृति आदेश क्रमांक/अ.आ./आ.जा.का./पी.एम.एस./134239 खरगोन दिनांक 22.04.2020।

Scanned 16/7/20

O/C

डॉ. आर.एस. देवड़ा
प्राचार्य
शास.स्नात. महाविद्यालय खरगोन
खरगोन
07282-241562

अनुसूचित जाति/ जनजाति के आवास सहायता स्वीकृति आदेश

क्रमांक/अ.ज./आ.जा.का./पी.एम.एस./134239

KHARGONE, दिनांक :-22/04/2020

विषय :- आवास सहायता के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (Awas Sahayata Sanction Order)

आवास सहायता नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों/जानकारी के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र/छात्राओं को आवास सहायता स्वीकृत रही है| बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान,कार्यालय सहायक आयुक्त/जिला संयोजक द्वारा कोषालय के माध्यम से छात्रा/छात्राओं के खातों में ऑनलाइन के माध्यम से भुगत किया जावेगा |

शैक्षणिक सत्र : 2019-20 शिक्षण संस्था : Govt P G College Khargone

वर्ग : ST स्वीकृति प्रकार : Fresh Cases

कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 152 कुल राशि (रुपये में) : 2280000

प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय में नियमित उपस्थिति एवं किराये के आवास में रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की है| यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा विध्यार्थी से आवास सहायता की वसूली की जावेगी |
2. विध्यार्थी द्वारा अपलोड किये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है |
3. किसी भी विद्यार्थी छात्र/छात्राओं को दोहरी आवास सहायता का भुगतान नहीं किया जा रहा हैं|
4. किसी भी गैर- स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है |
5. विध्यार्थी के मूल निवास तथा किराये के निवास की जानकारी का परिक्षण कर लिया गया हैं | ऐसे किन्ही भी छात्रा/छात्राओं को आवास सहायता नहीं दी जा रही है जिनके मूल निवास तथा अध्यनरत संस्था एक ही स्थानीय निकाय एवं मूल निवास तथा किराये से निवासरत मकान एक ही निकाय में है |
6. शासकीय छात्रावास में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही हैं|

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची ।

प्राचार्य
शा.स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
खरगोन
स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला :-KHARGONE
07282-241562

Phone No.:- +91-7282-2419 63
Fax No.:- +91-7282-2419 63

आ.का./पी.एम.एस/134239 /

महालेखाकार ग्वालियर, मध्यप्रदेश
आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल, म.प्र.
कलेक्टर जिला :-KHARGONE
जिला कोषालय अधिकारी जिला : KHARGONE, मध्यप्रदेश
जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण, जिला :- KHARGONE
संबंधित प्राचार्य, Govt P G College Khargone District: KHARGONE

प्राचार्य एवं पदमुद्रा
शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
खरगोन
स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला: KHARGONE
07282-241562

कार्यालय,प्राचार्य,शासकीय स्नातकोत्तर(अग्रणी)महाविद्यालय खरगोन(म.प्र.)

क्रमांकः/ 1397 /छात्रवृत्ति/20 खरगोन दिनांक 13/07/2020

प्रति,

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास विभाग,
खरगोन (म.प्र.)

विषयः– सत्र 2019–20 में नियमित रूप से अध्ययनरत् ***अनुसूचित जनजाति नवीनीकरण*** छात्र–छात्राओं के **आवास सहायता योजना** की स्वीकृति ।

उपरोक्त विषय में लेख हैं कि, सत्र 2019–20 में नियमित रूप से अध्ययनरत् ***अनुसूचित जनजाति नवीनीकरण 01*** छात्र/छात्राओं की आवास सहायता योजना की स्वीकृति आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्नः– स्वीकृति आदेश क्रमांक/अ.ज./आ.जा.का./पी.एम.एस./134257 खरगोन दिनांक 22.04.2020

Scanned 16/7/20

o/c

डॉ.आर.एस. देवड़ा
प्राचार्य
शास. स्नात. महाविद्यालय खरगोन
07282-241562

Govt P G College Khargone District :KHARGONE Local Body: Nagar Palika, KHARGONE

Locked

Category: ST

Sanction Order : 134257 For Academic Year : 2019-20

[Renewal Cases]

अनुसूचित जाति/ जनजाति के आवास सहायता स्वीकृति आदेश

क्रमांक/अ.ज./आ.जा.का./पी.एम.एस./134257

KHARGONE, दिनांक :-22/04/2020

विषय :- आवास सहायता के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (Awas Sahayata Sanction Order)

आवास सहायता नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों/जानकारी के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र/छात्राओं को आवास सहायता स्वीकृत की जा रही है| बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान,कार्यालय सहायक आयुक्त/जिला संयोजक द्वारा कोषालय के माध्यम से छात्रा/छात्राओं के खातों में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा |

शैक्षणिक सत्र : 2019-20 शिक्षण संस्था : Govt P G College Khargone

वर्ग : ST स्वीकृति प्रकार : Renewal Cases

कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 1 कुल राशि (रुपयें में) : 15000

प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय में नियमित उपस्थिति एवं किराये के आवास में रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है| यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा विध्यार्थी से आवास सहायता की वसूली की जावेगी |

2. विध्यार्थी द्वारा अपलोड किये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है |

3. किसी भी विधार्थी छात्र/छात्राओं को दोहरी आवास सहायता का भुगतान नहीं किया जा रहा हैं|

4. किसी भी गैर- स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है |

5. विध्यार्थी के मूल निवास तथा किराये के निवास की जानकारी का परिक्षण कर लिया गया हैं | ऐसे किन्ही भी छात्रा/छात्राओं को आवास सहायता नहीं दी जा रही है जिनके मूल निवास तथा अध्यनरत संस्था एक ही स्थानीय निकाय एवं मूल निवास तथा किराये से निवासरत मकान एक ही निकाय में है |

6. शासकीय छात्रावास में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही हैं|

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची ।

हस्ताक्षरित/ई-पदमुद्रा

स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला -KHARGONE

शा.स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
खरगोन
07282-241562

This Sanction is generated by Scholarship Portal. Printed on -Date-22/05/2020

Govt P G College Khargone District :KHARGONE Local Body: Nagar Palika, KHARGONE | Locked

Category: ST

Sanction Order : 134257 For Academic Year : 2019-20 | [Renewal Cases]

प्र.क्रमांक/आ.जा.का./पी.एम.एस/**134257** /

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार ग्वालियर, मध्यप्रदेश
2. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल, म.प्र.
3. कलेक्टर जिला :-KHARGONE
4. जिला कोषालय अधिकारी जिला : KHARGONE, मध्यप्रदेश
5. जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण, जिला :- KHARGONE
6. संबंधित प्राचार्य, Govt P G College Khargone District: KHARGONE

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला:-KHARGONE

07282-241562

This Sanction is generated by Scholarship Portal. Printed on -Date-22/05/2020

कार्यालय,प्राचार्य,शासकीय स्नातकोत्तर(अग्रणी)महाविद्यालय खरगोन(म.प्र.)

क्रमांकः/1393 /छात्रवृत्ति/20 खरगोन दिनांक 13/7/2020

प्रति,

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास विभाग,
खरगोन (म.प्र.)

विषयः– सत्र 2019–20 में नियमित रूप से अध्ययनरत् ***अनुसूचित जनजाति नवीनीकरण*** छात्र–छात्राओं के **आवास सहायता योजना** की स्वीकृति ।

उपरोक्त विषय में लेख हैं कि, सत्र 2019–20 में नियमित रूप से अध्ययनरत् ***अनुसूचित जनजाति नवीनीकरण 05*** छात्र/छात्राओं की आवास सहायता योजना की स्वीकृति आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्नः– स्वीकृति आदेश क्रमांक/अ.ज./आ.जा.का./पी.एम.एस./134460 खरगोन दिनांक 01.05.2020

Sdeeba 16/7/2020 O/C

डॉ.आर.एस. देवड़ा
प्राचार्य
शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय
खरगोन
07282-241562

Govt P G College Khargone District :KHARGONE Local Body: Nagar Palika, KHARGONE

Locked

Category: ST

Sanction Order : 134460 For Academic Year : 2019-20

[Renewal Cases]

अनुसूचित जाति/ जनजाति के आवास सहायता स्वीकृति आदेश

क्रमांक/अ.ज./आ.जा.का./पी.एम.एस./134460

KHARGONE, दिनांक :-01/05/2020

विषय :- आवास सहायता के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (Awas Sahayata Sanction Order)

आवास सहायता नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों/जानकारी के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र/छात्राओं को आवास सहायता स्वीकृत की जा रही है| बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान,कार्यालय सहायक आयुक्त/जिला संयोजक द्वारा कोषालय के माध्यम से छात्रा/छात्राओं के खातों में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा |

शैक्षणिक सत्र : 2019-20 शिक्षण संस्था : Govt P G College Khargone

वर्ग : ST स्वीकृति प्रकार : Renewal Cases

कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 5 कुल राशि (रुपये में) : 75000

प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय में नियमित उपस्थिति एवं किराये के आवास में रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है| यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा विध्यार्थी से आवास सहायता की वसूली की जावेगी |
2. विध्यार्थी द्वारा अपलोड किये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है |
3. किसी भी विद्यार्थी छात्र/छात्राओं को दोहरी आवास सहायता का भुगतान नहीं किया जा रहा है|
4. किसी भी गैर- स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है |
5. विध्यार्थी के मूल निवास तथा किराये के निवास की जानकारी का परिक्षण कर लिया गया हैं | ऐसे किन्ही भी छात्रा/छात्राओं को आवास सहायता नहीं दी जा रही है जिनके मूल निवास तथा अध्यनरत संस्था एक ही स्थानीय निकाय एवं मूल निवास तथा किराये से निवासरत मकान एक ही निकाय में है |
6. शासकीय छात्रावास में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही हैं|

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची |

हस्ताक्षर एवं मुद्रा

स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला KHARGONE

प्राचार्य
शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
खरगोन
07282-241562

This Sanction is generated by Scholarship Portal. Printed on -Date-22/05/2020

प्र.क्रमांक/आ.जा.का./पी.एम.एस/**134460** /

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार ग्वालियर, मध्यप्रदेश
2. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल, म.प्र.
3. कलेक्टर जिला :-KHARGONE
4. जिला कोषालय अधिकारी जिला : KHARGONE, मध्यप्रदेश
5. जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण, जिला :- KHARGONE
6. संबंधित प्राचार्य, Govt P G College Khargone District: KHARGONE

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला KHARGONE

प्राचार्य
शा.स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
खरगोन
07282-241562

This Sanction is generated by Scholarship Portal. Printed on -Date-22/05/2020

E-mail:- hegpgckhr@ mp.gov.in
Phone No.:- +91-7282-241562
Fax No.:- +91-7282-2419 63

कार्यालय, प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर (अग्रणी)महाविद्यालय,खरगोन (म.प्र.)

क्रमांक/ 138 / छात्रवृत्ति/2020 दिनांक 13/07/2020

प्रति,

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास विभाग,
खरगोन (म.प्र.)

विषय :– सत्र् 2019–20 में नियमित रुप से अध्ययनरत् अनुसूचित जनजाति नवीनीकरण छात्र/छात्राओं के आवास सहायता योजना की स्वीकृति।

उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भानुसार लेख है कि, सत्र् 2019–20 में नियमित रुप से अध्ययनरत् अनुसूचित जनजाति नवीनीकरण 07 छात्र–छात्राओं की आवास सहायता योजना की स्वीकृति आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्नः– स्वीकृति आदेश क्रमांक/अ.आ./आ.जा.का./पी.एम.एस./136623 खरगोन दिनांक 10.07.2020।

16/7/20

डॉ. आर.एस. देवड़ा
प्राचार्य
शास.स्नात. महाविद्यालय खरगोन
07282-241562

Govt P G College Khargone District :KHARGONE Local Body: Nagar Palika, KHARGONE

Locked

Category: ST

Sanction Order : 136623 For Academic Year : 2019-20

[Renewal Cases]

अनुसूचित जाति/ जनजाति के आवास सहायता स्वीकृति आदेश

KHARGONE, दिनांक :-10/07/2020

क्रमांक/अ.ज./आ.जा.का./पी.एम.एस./136623

विषय :- आवास सहायता के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (Awas Sahayata Sanction Order)

आवास सहायता नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों/जानकारी के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र/छात्राओं को आवास सहायता स्वीकृत की जा रही है| बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान,कार्यालय सहायक आयुक्त/जिला संयोजक द्वारा कोषालय के माध्यम से छात्रा/छात्राओं के खातों में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा |

शैक्षणिक सत्र : 2019-20 शिक्षण संस्था : Govt P G College Khargone

वर्ग : ST स्वीकृति प्रकार : Renewal Cases

कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 7 कुल राशि (रुपयें में) : 105000

प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय में नियमित उपस्थिति एवं किराये के आवास में रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है| यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा विध्यार्थी से आवास सहायता की वसूली की जावेगी |
2. विध्यार्थी द्वारा अपलोड किये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है |
3. किसी भी विद्यार्थी छात्र/छात्राओं को दोहरी आवास सहायता का भुगतान नहीं किया जा रहा हैं|
4. किसी भी गैर- स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है |
5. विध्यार्थी के मूल निवास तथा किराये के निवास की जानकारी का परिक्षण कर लिया गया हैं | ऐसे किन्ही भी छात्रा/छात्राओं को आवास सहायता नहीं दी जा रही है जिनके मूल निवास तथा अध्यनरत संस्था एक ही स्थानीय निकाय एवं मूल निवास तथा किराये से निवासरत मकान एक ही निकाय में है |
6. शासकीय छात्रावास में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही हैं|

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची ।

प्राचार्य
हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
शा.स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला KHARGONE
खरगोन
07282-241562

This Sanction is generated by Scholarship Portal. Printed on -Date-11/07/2020

प्र.क्रमांक/आ.जा.का./पी.एम.एस/136623 /

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार ग्वालियर, मध्यप्रदेश
2. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल, म.प्र.
3. कलेक्टर जिला :-KHARGONE
4. जिला कोषालय अधिकारी जिला : KHARGONE, मध्यप्रदेश
5. जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण, जिला :- KHARGONE
6. संबंधित प्राचार्य, Govt P G College Khargone District: KHARGONE

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
प्राचार्य
शा.स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
खरगोन
स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला KHARGONE
07282-241562

कार्यालय,प्राचार्य,शासकीय स्नातकोत्तर(अग्रणी)महाविद्यालय खरगोन(म.प्र.)

क्रमांक:/ 1395 /छात्रवृत्ति/20 खरगोन दिनांक 13/07/2020

प्रति,

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास विभाग,
खरगोन (म.प्र.)

विषयः– सत्र् 2019–20 में नियमित रूप से अध्ययनरत् ***अनुसूचित जनजाति नवीनीकरण*** छात्र–छात्राओं के **आवास सहायता योजना** की स्वीकृति ।

उपरोक्त विषय में लेख हैं कि, सत्र् 2019–20 में नियमित रूप से अध्ययनरत् ***अनुसूचित जनजाति नवीनीकरण 201*** छात्र/छात्राओं की आवास सहायता योजना की स्वीकृति आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्नः– स्वीकृति आदेश क्रमांक/अ.ज./आ.जा.का./पी.एम.एस./134243 खरगोन दिनांक 22.04.2020

Scholarship 16/7/20 O/C

डॉ.आर.एस. देवड़ा
प्राचार्य
शास. स्नात. महाविद्यालय खरगोन
07282-241562

अनुसूचित जाति/ जनजाति के आवास सहायता स्वीकृति आदेश

क्रमांक/अ.ज./आ.जा.का./पी.एम.एस./**134243** KHARGONE, दिनांक :-22/04/2020

विषय :- आवास सहायता के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (Awas Sahayata Sanction Order)

आवास सहायता नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों/जानकारी के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र/छात्राओं को आवास सहायता स्वीकृत की जा रही है| बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान,कार्यालय सहायक आयुक्त/जिला संयोजक द्वारा कोषालय के माध्यम से छात्रा/छात्राओं के खातों में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा |

शैक्षणिक सत्र : 2019-20 शिक्षण संस्था : Govt P G College Khargone

वर्ग : ST स्वीकृति प्रकार : Renewal Cases

कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 201 कुल राशि (रुपयें में) : 3014400

प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय में नियमित उपस्थिति एवं किराये के आवास में रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है| यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा विध्यार्थी से आवास सहायता की वसूली की जावेगी |
2. विध्यार्थी द्वारा अपलोड किये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है |
3. किसी भी विद्यार्थी छात्र/छात्राओं को दोहरी आवास सहायता का भुगतान नहीं किया जा रहा है|
4. किसी भी गैर- स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है |
5. विध्यार्थी के मूल निवास तथा किराये के निवास की जानकारी का परिक्षण कर लिया गया हैं | ऐसे किन्ही भी छात्रा/छात्राओं को आवास सहायता नहीं दी जा रही है जिनके मूल निवास तथा अध्यनरत संस्था एक ही स्थानीय निकाय एवं मूल निवास तथा किराये से निवासरत मकान एक ही निकाय में है |
6. शासकीय छात्रावास में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है|

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची ।

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
स्वीकृतकर्ता अधिकारी, -जिला:-KHARGONE

शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
खरगोन
07282-241562

प्र.क्रमांक/आ.जा.का./पी.एम.एस/**134243** /

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार ग्वालियर, मध्यप्रदेश
2. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल, म.प्र.
3. कलेक्टर जिला :-KHARGONE
4. जिला कोषालय अधिकारी जिला : KHARGONE, मध्यप्रदेश
5. जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण, जिला :- KHARGONE
6. संबंधित प्राचार्य, Govt P G College Khargone District: KHARGONE

हस्ताक्षर एवं मुद्रा
स्वीकृतकर्ता अधिकारी जिला KHARGONE
07282-241562